न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 69/2017

विक्रम पुनियां पुत्र रामस्वरूप पुनियां जाति बिश्नोई निवासी 10 जी.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। —अपीलार्थी

बनाम

1. टीकूराम पुत्र रामचन्द्र जाति स्वामी निवासी 10 जी.डी.ए. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 04.10.2016

उपस्थिति:–

श्री विनित त्यागी अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सोहनलाल जोशी अभिभाषक रेस्पों.

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 22.05.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी घडसाना के आदेश दिनांक 04.10.2016 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी रेस्पों. का प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए चक 10 जी.डी.ए के मु.नं. 225/59 के कि.नं. 14 की 1 बीघा भूमि को बतौर स्माल पेच आवंटन किया गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पास पिछले 40 वर्ष से मु. नं. 225/59 के कि.नं. 3 से 8 व 14 का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी

22/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

ख़ातेदारी बाबत उपखण्ड अधिकारी को प्रा.पत्र पेश कर रखा है जो अभी विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में अति.कलक्टर सूरतगढ व राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। किन्तु अधी.न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये विवादित भूमि का आवंटन किया गया। अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 96सीपीसी का पेश किया है। अतः अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा. पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। कथन किया कि कब्जा रेस्पों. का है। अपीलांट की विवादित भूमि के चिपते हुए कोई भूमि नहीं है। रेस्पों. द्वारा आवंटन हेतु प्रा.पत्र पेश करने पर रेस्पों. को आवंटन का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया है जो उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रा.पत्र स्वीकार अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट ने अपील आदेश दिनांक 04.10.2016 के विरूद्ध दिनांक 05.07.2017 को पेश की है जिसके लिए अपीलांट ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधि. का पेश किया है जिसका जबाब रेस्पों. द्वारा पेश किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये एवं बिना सुने पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नजरी नक्शा में विवादित भूमि के चिपते हुए अपीलांट की कोई भूमि नहीं है।

22/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट ने विवादित भूमि पर अपना कब्जा होना बताया है। यदि उसका कब्जा है तो वह साधिकार नहीं माना जा सकता। अधी. न्यायालय ने रेस्पों. को विवादित भूमि बतौर स्मालपेच आवंटन करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर